<u>सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

<u>संख्या- 01/2021/13(9)1998-20रिट/का-1-2021</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021**

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7(7) का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-रिट-ए 12110/2020 स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य बनाम विजयानन्द तिवारी में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 में की गयी संवीक्षा के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

' .....Rule 7 (vii) of the Rules of 1999 provides for oral evidence and invariably not followed in the enquiry despite catena of judgments of this Court causing interference the order of punishment. The violation of the Rule 7 (vii) of the Rules of 1999 results not only interference of order of punishment but financial burden on the Government in shape of back wages.....'

2- ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7(7) में निम्नवत् व्यवस्था हैः-

"जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था:

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।"

3- अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के आलोक में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रत्येक विभागीय जांच के मामलों में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के समस्त प्रावधानों के साथ-साथ नियम-7(7) की व्यवस्थाओं का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2021/13(9)1998-20 रिट(i) /का-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
6. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ।
8. सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।